प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–..... 2022.....
प्र0सू0रि0 सं .....122/22.....दिनांक.....7/5/2022.....

2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018.....धाराए ..... 7, 7(ए) .....
(2) अधिनियम.....भादसं.....धाराए.....120 बी .....
(3) अधिनियम.....धाराए.....
(4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराएं.....

3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार .....दिनांक :–...06.05.2022.....समय : 01.20 पीएम.....
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–.....04.05.2022.....समय : 01.00 पीएम.....
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....142 समय.....3:00 p.m.....

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से दक्षिण दिशा बफासला करीब 3 किमी
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– पुलिस चौकी सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर ।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम..... जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री मोहनलाल
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री सोनाराम
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 52 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....
(च) व्यवसाय:– –
(छ) पता :– निवासी 16 ए प्रेमनगर श्रीगंगानगर हाल तुलसी कॉलोनी, सेतिया फार्म श्रीगंगानगर ।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री शिंगारा सिंह उम्र 53 साल निवासी वीपीओ धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी सेतिया फार्म, पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर।
2. विक्की सेतिया उर्फ दागी पुत्र श्री तीरथ कुमार सेतिया उम 42 साल जाति अरोड़ा निवासी गली न. 4 रामलाल कॉलोनी, एस.एस.बी. रोड़ श्रीगंगानगर।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

परिवादी मोहनलाल के पुत्रो प्रिन्स जयपाल व अम्बर जयपाल तथा अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में मुकदमा संख्या 386/21 दिनांक 02.12.21 धारा 147, 427, 435, 307, 336, 149 भा. द.स. एवं 27 आयुध अधिनियम में दर्ज होकर अनुसंधान श्री कुलविन्द्र सिंह एएसआई द्वारा किया जा रहा था, जिसने आरोपी का पुत्र प्रिन्स जयपाल गिरफ्तार होकर केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में है। दूसरे पुत्र अम्बर जयपाल का नाम मुकदमा से हटाने की एवज में आरोपी कुलविन्द्र सिंह द्वारा राजू व विक्की सेतिया उर्फ दागी के माध्यम से 20,000/रूपये की मांग किये जाने पर परिवादी मोहनलाल द्वारा दिनांक 04.05.22 को ब्यूरो में दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04 व 05.05.22 को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, तो 10,000/रूपये रिश्वत हेतु तय कर आरोपी द्वारा सत्यापन के दौरान 4000/रूपये विक्की सेतिया उर्फ दागी के माध्यम से प्राप्त किये तथा शेष 6000/रूपये दिनांक 06.05.22 को विक्की सेतिया उर्फ दागी के मार्फत प्राप्त करने पर आरोपीगण को गिरफ्तार करना आदि आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– .....6,000/रू.....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

सेवामें,

श्रीमान डीएसपी साहब, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्रीगंगानगर। विषयः– भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी मोहनलाल पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल उम्र 52 वर्ष निवासी 16 ए प्रेमनगर श्रीगंगानगर हाल तुलसी कॉलोनी, सेतिया फार्म श्रीगंगानगर का हूं। राजेश कुमार पुत्र हीरानन्द निवासी 53 सी गली नं. 02 सेतिया फार्म श्रीगंगानगर ने मेरे लड़के अम्बर जयपाल तथा प्रिन्स जयपाल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में एफआईआर संख्या 386/21 दिनांक 02.12.21 धारा 147, 427, 435, 307, 336, 149 भा.द.स. एवं 27 आयुध अधिनियम में दर्ज करवाया था जिसका अनुसंधान श्री कुलविन्द्र सिंह एएसआई द्वारा किया जा रहा है। कुलविन्द्र सिंह एएसआई ने मेरे एक पुत्र प्रिन्स जयपाल को करीब दो–ढाई महिने पहले गिरफ्तार किया था जो अभी केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में है। मेरा दूसरा पुत्र अम्बर जयपाल घटना में शामिल नहीं था तथा उस रोज वह जिस शादी में था उसकी फोटो व अन्य गवाही भी मैंने अनुसंधान अधिकारी कुलविन्द्र सिंह एएसआई के समक्ष पेश कर दी परन्तु उक्त कुलविन्द्र सिंह एएसआई ने दो–तीन दिन पहले मेरे से मेरे दूसरे पुत्र अम्बर जयपाल का नाम मुकदमा में से निकालने के लिए 20,000 रूपये रिश्वत देने को कहा तो मैंने मजबूरी में उसे एक–दो दिन में रिश्वत देने की हां भर दी तब से कुलविन्द्र सिंह एएसआई रिश्वत लेने के लिए रोज मुझे मिलने आने के लिए कह रहा है। मैं इसे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरा उक्त के साथ किसी प्रकार का लेनदेन बकाया नहीं है और ना ही कोई विवाद है। कृप्या मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी मोहनलाल पुत्र श्री सोनाराम मेघवाल उम्र 52 वर्ष निवासी 16 ए प्रेमनगर श्रीगंगानगर हाल तुलसी कॉलोनी, सेतिया फार्म श्रीगंगानगर मो. नं. 74128–32617

कार्रवाई पुलिस

दिनांक :– 04.05.2022
समय :– 01.00 पीएम
स्थानः– ब्यूरो कार्यालय,
श्रीगंगानगर–द्वितीय

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी मोहनलाल पुत्र श्री सोनाराम जाति मेघवाल उम्र 52 वर्ष निवासी 16 ए प्रेमनगर श्रीगंगानगर हाल तुलसी कॉलोनी, सेतिया फार्म श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर–द्वितीय पर उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को यह लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना एवं प्रार्थना पत्र जानकार से कम्प्यूटर टाईप करवाना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे पुत्रो अम्बर जयपाल व प्रिन्स जयपाल व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में मुकदमा दर्ज होकर तफ्तीश कुलविन्द्र सिंह एएसआई द्वारा की जा रही है। मेरा पुत्र अम्बर जयपाल निर्दोष है, जिसके सम्बधं में मै सबूत भी पेश कर चूका हूँ, लेकिन आरोपी मेरे पुत्र अम्बर जयपाल को मुकदमा में से निकालने के बदले दबाव बनाकर मेरे से 20,000/रूपये नाजायज रूप से रिश्वत मांग रहा है, मै उसे रिश्वत नही देकर पकड़वाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपी मेरे पर विश्वास नही करता, वह मेरे से सीधे तौर पर रिश्वत की बात नही करता है, वह मेरे पुत्रो के विरूद्ध उक्त मुकदमा में अन्य गिरफ्तार लड़के के पिता श्री राजू व एक अन्य दागी नामक व्यक्ति से मेरे से रिश्वत प्राप्त करने के सम्बधं में बातचीत करके रिश्वत लेने के लिये दबाव बना रहा है। परिवादी द्वारा उक्त एफआईआर की नकल प्रस्तुत की है, जिसमें भी मुकदमा की तफ्तीश कुलविन्द्र सिंह एएसआई को सुपुर्द की गई है। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी श्री मोहनलाल को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने इस हेतु अपनी सहमति दी। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री प्रदीप कुमार कानि0 से परिचय करवाया गया एवं बाद परिचय दोनो को मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के गोपनीय सत्यापन हेतु सेतिया फार्म श्रीगंगानगर की ओर रवाना किया गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्दगी की फर्द मुर्तिब कर शामिल कागजात की गई। वक्त 05.00 पीएम पर गोपनीय सत्यापन में गये हुये श्री प्रदीप कुमार कानि. व परिवादी श्री मोहनलाल ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर परिवादी ने बताया कि मै डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालु हालत में लेकर पुलिस चौकी सेतिया फार्म श्रीगंगानगर में आरोपी कुलविन्द्र सिंह एएसआई से मिला था, वहां पर इसी प्रकरण में गिरफ्तार शुदा लड़के के पिता श्री राजू व विक्की सेतिया उर्फ दागी नामक व्यक्ति भी बैठे हुये थे, वहां पर मैने उक्त मुकदमा में से मेरे पुत्र अम्बर जयपाल का नाम हटाने एवं रिश्वत के सम्बधं में बातचीत की तो उसने कहा कि मैने राजू को बता दिया है। राजू ने वही उसके सामने ही कहा कि 20,000/रूपये की थानेदार जी कह रहे है, 15,000/रूपये में निपटवा लेगे, इस पर मैने आरोपी कुलविन्द्र सिंह को कहा कि यह 20,000/रूपये की कह रहा है, कुछ कम करो, तो उसने कहा कि मैने तो राजू को बता दिया है, बाकी तुम सोच लो। रूपये नही देने पर मेरे पुत्र को मुकदमा में फसाने की धमकी दे रहा है। बातचीत के दौरान आरोपी कुलविन्द्र सिंह ने मेरे से पूर्व में प्राप्त किये 10,000/रूपये भी प्राप्त हो जाना स्वीकार किया है। उक्त बातचीत मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। प्रदीप कुमार कानि. ने भी पुलिस चौकी सेतिया फार्म श्रीगंगानगर के नजदीक पहूंचकर डिजीटल टेप

रिकॉर्डर चालु हालत में परिवादी मोहनलाल को देकर भेजने की बात बताई। इस पर प्रस्तुत डिजीटल टेप रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर पर सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी के बताये अनुसार विस्तृत बातचीत रिकॉर्ड होकर उसमें परिवादी के पुत्रो के विरूद्ध दर्ज मुकदमा के सम्बध वार्ता होकर अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की मांग के तथ्य रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। चूंकि उक्त रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी कुलविन्द्र सिह द्वारा सीधे तौर पर परिवादी से रिश्वत की मांग नही कर उक्त राजू नामक व्यक्ति के माध्यम से रिश्वत की मांग करने के तथ्य रिकॉर्ड है, प्रकरण में आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने बाबत स्पष्ट सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। इस हेतु परिवादी मोहनलाल से कहा गया तो उसने कहा कि कल मै इस प्रकरण से सम्बधिंत गवाह/सबूत लेकर आरोपी के पास जाउगा, तब मै रिश्वत मांग के सम्बधं में पुनः सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी को मामला को पूर्ण गोपनीय रखने एवं कल ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आने की हिदायत कर इजाजत वापसी दी गई। दिनांक 05.05.22 वक्त 05.45 पीएम पर परिवादी मोहनलाल ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। जिस पर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर प्रदीप कुमार कानि0 के साथ रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर शहर की ओर रवाना किया गया। वक्त 08.00 पीएम पर गोपनीय सत्यापन में गये हुये श्री प्रदीप कुमार कानि. व परिवादी श्री मोहनलाल ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा बुलाया गया गवाह व विक्की सेतिया उर्फ दागी नामक व्यक्ति भी वहां पुलिस चौकी सेतिया फार्म पर आरोपी कुलविन्द्र सिंह एएसआई के पास बैठे मिले, जिस पर मेरे द्वारा प्रकरण के सम्बधं में बातचीत की, इसी दौरान आरोपी के सामने ही दागी द्वारा एक बार आज 5,000/रूपये देने तथा बाकि अम्बर के हाजिर आने पर देने का कहा, तो मैने 4,000/रूपये जेब से निकालकर विक्की सेतिया उर्फ दागी को दिये, जिसने मेरे सामने ही आरोपी कुलविन्द्र सिंह एएसआई को पकड़ा दिये, जिसने रूपये लेकर जेब में डाल लिये, बाकि 6,000/रूपये रिश्वत के कल देने की बात हुई है। इस पर प्रस्तुत डिजीटल टेप रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर पर सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी के बताये अनुसार बातचीत रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। बाद क़ार्यवाही परिवादी को आईंदा आरोपी को दी जाने वाली बकाया राशि सहित आने की हिदायत कर वापस भेजा गया। दिनांक 06.05.22 वक्त 11.15 एएम पर परिवादी मोहनलाल अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी को दी जाने वाली राशि 6000/रूपये सहित हाजिर चौकी आया। अग्रिम कार्यवाही में दो राज्य कर्मचारियों की बतौर गवाह मौजूदगी आवश्यक होने से दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, श्रीगंगानगर से जरिये दूरभाष निवेदन कर तलब किये जाने पर तलविदा स्वतन्त्र गवाह श्री कमलेश कुमार मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री मोहित कुमार कनिष्ठ सहायक, जल संसाधन विभाग, श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान का परिवादी श्री मोहनलाल से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया। जिस पर दोनो गवाहान ने बतौर स्वतन्त्र गवाह कार्रवाई में शामिल होने की सहमति प्रदान की। जिस पर दोनो गवाहान को अग्रिम कार्रवाई में बतौर गवाह शामिल किया गया। दिनांक 06.05.22 वक्त 12.15 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500/रू के 12 नोट कुल 6,000 भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2QB 497415
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0LB 472229
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5NP 457300
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9BW 406953
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1ML 349112
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3FR 676546
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0GM 173475
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7NM 749501
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8VK 345163
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8PA 296323
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4ND 164699
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6PB 762986

उक्त प्रस्तुत नोटो को मन उप पुलिस अधीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री मनजीत चलाना कानि0 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त 6,000/रू के नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री मोहित कुमार से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 6,000/रू के नोटो को श्री मनजीत चलाना कानि0 के जरिये परिवादी के पहने बुशर्ट की उपरी बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये

कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री मनजीत चलाना कानि0 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री मनजीत चलाना कानि0 के हाथ, गिलास को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियो व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासो को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री मोहनलाल को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। वक्त 12.35 पीएम मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मोहनलाल को उसके मोटरसाईकिल पर रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो सरकारी गवाहान मोहित कुमार व कमलेश कुमार मीणा व ब्यूरो स्टाफ के श्री हंसराज शर्मा सउनि, श्री सुबे सिंह कानि., श्री बजरंगलाल कानि., श्री संजीव कुमार कानि, श्री भवानी सिंह कानि., श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. व श्री दिनेश कुमार कानि0, श्री प्रदीप कुमार कानि., पंकज कानि. चालक मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स प्राईवेट वाहनो व मोटरसाईकिलो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस चौकी सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर के पास पहूंच वाहनो को गोपनीय स्थान पर रूकवाया, जहां परिवादी आरोपी से सम्पर्क करने पुलिस चौकी सेतिया फार्म श्रीगंगानगर में प्रवेश करने गया, पुलिस चौकी सेतिया फार्म के ईद–गिर्द ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 1.20 पीएम पर परिवादी मोहनलाल से ट्रेप का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यो के अविलम्ब परिवादी मोहनलाल के पास पहूंचा तो परिवादी ने सुपुर्दशुदा डिजीटल टेप रिकॉर्ड देते हुये बताया कि मै पुलिस चौकी सेतिया फार्म श्रीगंगानगर में कुलविन्द्र सिंह एएसआई के पास आया तो उनके पास चार–पांच व्यक्ति बैठे थे, तब इन्होने कहा कि तु अकेला कैसे आया है, दांगी कहा है, फिर कुलविन्द्र सिंह ने कहा कि दांगी को बुला लेता हूँ, फिर कुलविन्द्र सिंह ने दागी को फोन करके चौकी पर बुलाया, कुछ ही देर में दागी पुलिस चौकी पर आ गया, दागी ने आते ही मेरे से कहा कि 6,000/रूपये दे, 4,000/रूपये पहले आ गये, उनको(कुलविन्द्र सिंह) को पहूंचा दिये, फिर मैने दागी को कुछ कम करवाने का कहा तो दागी ने कहा कि कम नही होगे, पुरे छः हजार दे। फिर दागी ने कहा कि अम्बर को बुलाओ, तब मैने कहा कि पैसे तुने पुरे दे दिये क्या, तब दागी ने कहा कि मैने सारे पैसे दे दिये। फिर दागी ने मेरे बेटे अम्बर को फोन किया और उससे कहा कि पैसे मैने दे दिये है, तु चौकी पर आ जा। फिर मैने पुनः दागी से पूछा की यार तुने पैसे तो कुलविन्द्र सिंह को दे दिये है, ना कही धोखा ना हो जाये, तब दागी ने कहा कि मेरे पर भरोसा कर और अपने पास ही खड़े व्यक्ति को दागी होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान व स्टाफ सदस्यो के उक्त दागी नामक व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसका पूर्ण नाम पता पूछा तो श्री विक्की सेतिया उर्फ दागी पुत्र श्री तीरथ कुमार सेतिया उम 42 साल जाति अरोड़ा निवासी गली न. 4 रामलाल कॉलोनी, एस. एस.बी. रोड़ श्रीगंगानगर होना बताया। फिर उससे मोहनलाल से रिश्वत लेने का पूछा तो कहा कि साहब इसने मेरे को 6,000/रूपये दिये थे, जो मेरे पास ही है। जिसे साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार मय परिवादी व हमराहीयान के पास ही स्थित आरोपी कुलविन्द्र सिंह एएसआई के कमरा में प्रवेश हुआ तो कमरा में गेट के सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को परिवादी ने कुलविन्द्र सिंह एएसआई होना बताया। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान को परिचय देकर उसका पूर्ण नाम पता पूछा तो कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री शिंगारा सिंह उम्र 53 साल निवासी वीपीओ धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवास गली न0 07 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी सेतिया फार्म, पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर होना बताया। जिससे परिवादी मोहनलाल से सम्बधिंत कार्य एवं उससे रिश्वत लेने के सम्बधं में पूछा तो उसने कहा कि साहब इस मोहनलाल के दोनो पुत्रो प्रिन्स जयपाल व अम्बर जयपाल व अन्य के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर में मुकदमा सं. 386/21 दिनांक 02.12.21 धारा 147, 427, 435, 307, 336, 149 भा.द.स. एवं 27 आयुध अधिनियम में दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, इस मुकदमा में मोहनलाल के पुत्र प्रिन्स जयपाल व अन्य चार मुल्जिमो को गिरफ्तार किया जा चुका है, इसके पुत्र अम्बर जयपाल जो मुकदमा में नामजद होकर फरार है, उससे पूछताछ बाकी है, मैने इससे रिश्वत की मांग नही की, ना ही मैने इससे कोई रिश्वत ली है। इसने दागी को कोई राशि दी है, तो मुझे पता नही। यह कुछ देर पहले मेरे पास आया था, तब मैने इसको कहा था कि तेरे पुत्र अम्बर को बुला ले उससे पूछताछ कर लेता हूँ। फिर आरोपी कुलविन्द्र सिंह से पूछा कि विक्की सेतिया उर्फ दागी का इस मुकदमा से क्या सम्बधं है और उसको आपने मोबाईल फोन से क्यो बुलाया है, तो आरोपी ने कहा कि इस मोहनलाल के कहने पर बुलाया था, इस मुकदमा से दागी का कोई सम्बध नही है। फिर आरोपी से उक्त मुकदमा सं. 386/21 का पूछा तो बताया कि पत्रावली दिनांक 04.05.22 को हाईकोर्ट जोधपुर में भिजवायी गई थी, जहां से अभी तक प्राप्त नही हुई है। आरोपी की मेज पर एक गवाह भरत योगी पुत्र श्री

कृष्ण कुमार नाथ उम्र 27 साल निवासी 12 ए सरस्वती नगर, जवाहरनगर श्रीगंगानगर का इस मुकदमा सं. 386/22 में बंध पत्र साक्ष्य हेतु गवाह का आधार कार्ड तथा हस्तलिपि में गवाह के लिखे बयान कुल 3 पृष्ठ रखे है, आरोपी से इस सम्बधं में पूछा तो बताया कि यह मोहनलाल कल इस गवाह को लाया था, जिस पर मैने उक्त कागजात तैयार किये थे, इस पर आरोपी से पूछा कि मुकदमा की पत्रावली हाईकोट गयी हुई है, तो आपने बिना पत्रावली के उक्त गवाह के बयान मुचलका क्यो लिये तो इसका कोई जबाव नही दिया। जिस पर उक्त तीनो कागज प्रकरण में साक्ष्य होने से जब्त किये गये। इस पर मौका पर उपस्थित परिवादी मोहनलाल ने आरोपी के उक्त कथन का खण्डन करते हुये विस्तार से बताया कि मेरे पुत्रो के खिलाफ दर्ज मुकदमा में मेरे पुत्र प्रिन्स जयपाल को करीब अढाई महिने पहले कुलविन्द्र सिंह एएसआई ने गिरफ्तार किया था, तब भी मेरे से इन्होने 10,000/रूपये रिश्वत ली थी, उसके बाद से मेरे दुसरे पुत्र को गिरफ्तार करने व उसके खिलाफ चालान कर देने का दबाव बनाकर मेरे पुत्रो के खिलाफ दर्ज मुकदमा में एक अन्य पीड़ित गिरफ्तार शुदा लड़के के पिता राजू व इस विक्की सेतिया उर्फ दागी के मार्फत मेरे से 20,000/रूपये रिश्वत मांगी थी, मेरे द्वारा आपके विभाग में दिनांक 04.05.22 को प्रार्थना पत्र देने पर आपने उसी दिन रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था, जिसमें भी सत्यापन के दौरान आरोपी कुलविन्द्र सिंह एएसआई ने राजू व दागी की मौजूदगी मे मेरे से राजू के मार्फत 20,000/रूपये रिश्वत की मांग की थी, मैने कुलविन्द्र सिंह से कुछ कम करने का कहा तो इसने कहा कि मैने तो राजू को बता दिया है, बाकि तुम सोचो। आप द्वारा कल दिनांक 05.05.22 को दुबारा सत्यापन के लिये मुझे भेजा तब भी यह विक्की सेतिया उर्फ दागी आरोपी कुलविन्द्र सिंह के पास चौकी पर बैठा था, सत्यापन के दौरान इन्होने 10,000/रूपये रिश्वत हेतु तय करके इस दागी ने मेरे से रिश्वत के रूपये देने को कहा तो मैने 4000/रूपये इस दागी को दिये, जिसने मेरे सामने कुलविन्द्र सिंह को पकड़ा दिये, कुलविन्द्र सिंह ने रूपये अपनी जेब में रख लिये। आज मैने बकाया रिश्वत रूप में 6,000/रूपये रिश्वत के ही दिये थे, जो दागी ने अपने पास रख लिये, उस समय आरोपी कुलविन्द्र सिंह के पास पांच–छः अन्य व्यक्ति बैठे थे, जिस कारण वह रिश्वत राशि आरोपी कुलविन्द्र सिंह को दे नही सका। इस पर मौका पर ही सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी से रिश्वत के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया मेरा पुलिस चौकी सेतिया फार्म पर आना जाना है, यहा तैनात कुलविन्द्र सिंह एएसआई मेरे अच्छे सम्बधं है। मै कुछ दिन पहले केन्द्रीय कारागार श्रीगंगानगर में बंद था, करीब दस दिन पहले जमानत पर बाहर आया हूँ, इस मोहनलाल के पुत्रो के खिलाफ दर्ज उक्त मुकदमा में मेरे परिचित राजू का बेटा अभिषेक भी गिरफ्तार होकर जेल में है, जिसकी मदद के लिये उसके पिता राजू के साथ मै यहा आता जाता था, मोहनलाल का लड़का अम्बर जयपाल भी इस मुकदमा में मुल्जिम है, इसने मेरे से अपने पुत्र अम्बर का मुकदमा से नाम हटवाने के लिये मेरे से मदद मांगी। फिर मैने कुलविन्द्र सिंह एएसआई से इस सम्बधं में बात की तो कुलविन्द्र सिंह ने मुझे कहा कि मै अम्बर जयपाल का नाम निकाल दूंगा, खर्चा पानी लगेगा। परसो मै व राजू, मोहनलाल के साथ कुलविन्द्र सिंह एएसआई से मिले थे, तब कुलविन्द्र सिंह एएसआई राजू के मार्फत 20,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था, फिर कल मैने मोहनलाल को कुलविन्द्र सिंह एएसआई से मिलवाया और उसके सामने ही मोहनलाल से 10,000/रूपये खर्चे पानी के तय कर कल 4000/रूपये लेकर कुलविन्द्र सिंह एएसआई को दे दिये। कुलविन्द्र सिंह एएसआई के कहने पर आज मैने बकाया रिश्वत राशि 6000/रूपये मोहनलाल से लेकर कुलविन्द्र सिंह को देने चाहे, लेकिन कुलविन्द्र सिंह के पास अन्य लोग बैठे होने के कारण कुलविन्द्र सिंह ने ईशारे से मेरे पास रखने को कहा, जो मेरे पेंट के पिछली जेब में रखे है। इस पर स्वतः ही आरोपी कुलविन्द्र सिंह ने कहा कि ऐसी कोई बात नही हुई थी, ना तो मैने मोहनलाल से कोई रिश्वत मांगी थी और ना ही मैने कोई रिश्वत ली है। इस प्रकार परिवादी मोहनलाल व आरोपीगणो के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होना पाया गया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु सह आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु प्राईवेट कार से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **हल्का गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'आर–1, आर–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **हल्का गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'एल–1, एल–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने अपने पहनी जिन्स पेंट की पीछे की दांयी साईड की जेब में होना बताया, जिस पर गवाह श्री मोहित कुमार से आरोपी के पहनी जिन्स पेंट की पीछे की दांयी साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने 500–500/रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 500–500/रू के 12 नोट कुल 6,000/रू होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा

पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी की पहनी जिन्स पेन्ट बरंग डार्क ब्लयू पेन्ट की पीछे की दांयी साईड की जेब धुलवाने के लिये एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी के पहनी जिन्स पेन्ट को उतरवाते हुये व दूसरा लॉअर पहनने को दिया जाकर उतरवायी गई जिन्स पेन्ट के पीछे की दांयी साईड की जेब को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग **गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'पी–1, पी–2'** अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात पेन्ट की पीछे की बांयी साईड की जेब को सुखाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। तत्पश्चात आरोपी कुलविन्द्र सिंह सउनि व सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। फिर ट्रेप कार्रवाई के घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कशीद किया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। **मौका की कार्रवाई सम्पन्न होने पर** परिवादी मोहनलाल को मौका से रूख्सत करते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ व गिरफ्तारशुदा आरोपी कुलविन्द्र सिंह एएसआई व सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी व परिवादी, दोनो गवाहान मय ब्यूरो स्टाफ तथा जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के प्राईवेट वाहनो व मोटरसाईकिलो से पुलिस चौकी सेतिया फार्म श्रीगंगानगर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 6000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा जिन्स पेंट, दो शील्डशुदा सीडी आदि श्री रणजीत सिंह मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर की हवालात में जमा करवाया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी मोहनलाल के पुत्रो प्रिन्स जयपाल व अम्बर जयपाल तथा अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में मुकदमा संख्या 386/21 दिनांक 02.12.21 धारा 147, 427, 435, 307, 336, 149 भा.द.स. एवं 27 आयुध अधिनियम में दर्ज होकर अनुसंधान श्री कुलविन्द्र सिंह एएसआई द्वारा किया जा रहा था, जिसमे आरोपी का पुत्र प्रिन्स जयपाल गिरफ्तार होकर केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में है। दूसरे पुत्र अम्बर जयपाल का नाम मुकदमा से हटाने की एवज में आरोपी कुलविन्द्र सिंह द्वारा राजू व विक्की सेतिया उर्फ दागी के माध्यम से 20,000/रूपये की मांग किये जाने पर परिवादी मोहनलाल द्वारा दिनांक 04.05.22 को ब्यूरो में दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04 व 05.05.22 को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। दिनांक 05.05.22 को करवाये गये सत्यापन के दौरान आरोपी कुलविन्द्र सिंह द्वारा अपनी मौजदूगी में विक्की सेतिया उर्फ दागी के मार्फत 10,000/रूपये रिश्वत हेतु तय कर 4000/रूपये आरोपी द्वारा सत्यापन के दौरान विक्की सेतिया उर्फ दागी के माध्यम से प्राप्त किये तथा शेष बकाया रिश्वत राशि 6000/रूपये पर दिनांक 06.05.22 को ट्रेप कार्यवाही कर रिश्वत राशि विक्की सेतिया उर्फ दागी के पहनी जिन्स पेन्ट की पीछे की दांयी साईड की जेब से बरामद की गई, सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। उक्त घटना क्रम के आधार पर आरोपी कुलविन्द्र सिंह सउनि पुलिस चौकी सेतिया फार्म श्रीगंगानगर द्वारा सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी से आपराधिक सहभागिता कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी मोहनलाल से उसके पुत्र अम्बर जयपाल को मुकदमा में गिरफ्तार कर चालान पेश करने का दबाव बनाकर वक्त सत्यापन 4000/रूपये व दौराने ट्रेप कार्यवाही 6,000/रूपये रिश्वत राशि सह आरोपी विक्की सेतिया उर्फ दागी के मार्फत प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7(ए) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादंस. का घटित होना पाये जाने पर आरोपीगण कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री शिंगारा सिंह उम्र 53 साल निवासी वीपीओ धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी सेतिया फार्म, पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर व श्री विक्की सेतिया उर्फ दागी पुत्र श्री तीरथ कुमार सेतिया उम 42 साल जाति अरोड़ा निवासी गली न. 4 रामलाल कॉलोनी, एस.एस.बी. रोड़ श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(वेदप्रकाश लखोटिया)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
श्रीगंगानगर–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेदप्रकाश लखोटिया, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त आरोपीगण 1. श्री कुलविन्द सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी सेतिया फार्म, पुलिस थाना कोतवाली, जिला श्रीगंगानगर एवं 2. श्री विक्की सेतिया उर्फ दागी पुत्र श्री तीरथ कुमार सेतिया निवासी गली नं. 4, रामलाल कॉलोनी, एस.एस.बी. रोड़ श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 172/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1535-39 दिनांक 7.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।